हिमाचल में 44 हजार छात्रों की स्कॉलरशिप अटकी, तुरंत करें ये काम!

विषय सूची (Table of Contents):

>> हिमाचल प्रदेश में 44 हजार से अधिक छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी...
>> योजनावार लंबित मामलों का पूरा विवरण (डेटा लिस्ट)...
>> छात्रवृत्ति अटकने का मुख्य कारण बैंक खातों से आधार लिंक न होना...
>> सीमित बजट और तकनीकी विसंगतियां...
>> एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्र सबसे अधिक प्रभावित...
>> छात्रों के भविष्य पर संकट...
>> शिक्षा निदेशालय का सख्त निर्देश एक माह में पूरी करें आधार सीडिंग प्रक्रिया...
>> एक महीने का समय और प्रक्रिया...
>> सुप्रीम कोर्ट का आदेश चार महीने के भीतर सुनिश्चित करें सभी लंबित भुगतान...
>> कारण बताना अब कानूनी रूप से अनिवार्य...
>> लापरवाही पर कार्रवाई बिना आधार वेरिफिकेशन के आवेदन सत्यापित करने पर नोडल अधिकार...
>> सत्र 2026-27 के लिए सख्त नियम...
>> अंतिम अल्टीमेटम 26 दिसंबर तक सभी संस्थानों को जमा करना होगा अनुपालन प्रमाणपत्र...
>> 26 दिसंबर तक का अंतिम मौका...
>> निष्कर्ष...
>> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न...

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के हजारों मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को मिलने वाली सरकारी सहायता पर फिलहाल रोक लग गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से 44 हजार से अधिक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बीच में ही लटक गई है।

इस संकट के बाद शिक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश के छात्र हैं और अपनी छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

हिमाचल प्रदेश में 44 हजार से अधिक छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी

हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लेकर सत्र 2025-26 के बीच कुल 44,616 विद्यार्थियों की केंद्रीय प्रायोजित छात्रवृत्ति (Centrally Sponsored Scholarship) रोक दी गई है। राज्य ब्यूरो, शिमला से मिली जानकारी के मुताबिक, यह बड़ी संख्या उन छात्रों की है जो अपनी उच्च शिक्षा के लिए सरकारी वित्तीय सहायता पर निर्भर थे।

योजनावार लंबति मामलों का पूरा वविरण (डेटा लसि्ट)

उच्च शकि्षा नदिेशालय द्वारा जारी आधकिारकि आंकड़ों के अनुसार, वभिनि्न श्रेणयिों और सत्रों में लंबति मामलों की संख्या इस प्रकार है:

>> एससी प्री-मैट्रकि छात्रवृत्त:िसत्र 2022-23 में 1830, सत्र 2023-24 में 1400, सत्र 2024-25 में 2323 और सत्र 2025-26 में 4943 मामले लंबति हैं।

>> एससी पोस्ट-मैट्रकि छात्रवृत्त:िसत्र 2022-23 में 1191, सत्र 2023-24 में 622, सत्र 2024-25 में 673 और सत्र 2025-26 में 1467 मामले रुके हुए हैं।

>> एसटी प्री-मैट्रकि छात्रवृत्त:िसत्र 2022-23 में 13, सत्र 2023-24 में 342, सत्र 2024-25 में 643 और सत्र 2025-26 में 1574 छात्रों की स्कॉलरशपि अटकी है।

>> एसटी पोस्ट-मैट्रकि छात्रवृत्त:िसत्र 2023-24 में 141, सत्र 2024-25 में 277 और सत्र 2025-26 में 547 आवेदन पेंडगि हैं।

>> पीएम-यशस्वी प्री-मैट्रकि योजना:सत्र 2022-23 में 68, सत्र 2023-24 में 624, सत्र 2024-25 में 9097 और सत्र 2025-26 में 3679 मामले रुके हैं।

>> पीएम-यशस्वी पोस्ट-मैट्रकि योजना:सत्र 2022-23 में 101, सत्र 2023-24 में 884, सत्र 2024-25 में 10,038 और सत्र 2025-26 में 2,139 मामले पेंडगि लसि्ट में हैं।

छात्रवृत्त‍ि अटकने का मुख्य कारण: बैंक खातों से आधार लकि न ह

इतनी बड़ी संख्या में स्कॉलरशपि रुकने के पीछे कोई बड़ा घोटाला या बजटीय कटौती नहीं है, बल्कि एक अनविार्य तकनीकी प्रक्रयिा का पूरा न होना है। नदिेशालय के अनुसार, अधकिांश मामलों में वदि्यार्थयिों के बैंक खाते उनके व्यक्तगित आधार कार्ड से लकि (Aadhaar Seeding) नहीं पाए गए हैं, जसिके कारण डायरेक्ट बेनफिटि ट्रांसफर (DBT) वफिल हो रहा है।

सीमति बजट और तकनीकी वसिंगतयिां

आधार सीडगि के अलावा कुछ वशिेष योजनाओं में अन्य कारण भी सामने आए हैं। उदाहरण के लएि,पीएम-यशस्वी योजना (PM-YASASVI Scheme)के तहत आने वाले कुछ मामलों में केंद्र सरकार की ओर से सीमति बजट का होना भी एक तात्कालकि कारण रहा है। हालांक,ि प्राथमकि समस्या अभी भी बैंक खातों का सही तरीके से सत्यापति न होना ही माना जा रहा है। जैसे देश के अन्य राज्यों में कड़े नयिम लागू हैं, जैसेयूपी जीएनएम प्रवेश 2026में कड़े नयिमों का पालन होता है, वैसे ही अब हमिाचल में भी नयिमों को सख्त कयिा जा रहा है।

एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के प्री और पोस्ट-मैट्रकि छात्र सबसे

इस तकनीकी समस्या की सबसे बड़ी मार समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों पर पड़ी है। प्रभावित होने वाले कुल 44,616 विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC EBC DNT) के छात्र शामिल हैं। इन वर्गों के लिए चलाई जाने वाली प्री-मैट्रिक (कक्षा 9वीं और 10वीं) और पोस्ट-मैट्रिक (11वीं से उच्च शिक्षा तक) दोनों ही स्तर की छात्रवृत्तियों पर इसका सीधा असर पड़ा है।

छात्रों के भविष्य पर संकट

स्कॉलरशिप समय पर न मिलने के कारण कई छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की फीस भरने में असमर्थ हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। हालांकि, छात्रवृत्ति से जुड़ी अच्छी खबरें भी आती रहती हैं, जैसे हाल ही मेंत्रिपिदा स्कूल छात्रों ने मैक्सटाप में जीती छात्रवृत्तिऔर विद्यालय का नाम रोशन किया, लेकिन सरकारी छात्रवृत्ति के मामले में प्रशासनिक देरी छात्रों के मनोबल को प्रभावित करती है।

शिक्षा निदेशालय का सख्त निर्देश: एक माह में पूरी करें आधार स

मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशकडा. हरीश कुमारने तुरंत कड़ा रुख अपनाया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों, संस्कृत संस्थानों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं।

एक महीने का समय और प्रक्रिया

निदेशालय द्वारा जारी किए गए नए आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर लंबित मामलों की जांच करें। संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे एक माह के भीतर अपने सभी प्रभावित विद्यार्थियों के बैंक खातों की आधार सीडिंग की प्रक्रिया को शत-प्रतिशत पूरा करवाएं और इसका आधिकारिक प्रमाणपत्र शिक्षा मुख्यालय को प्रेषित करें।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: चार महीने के भीतर सुनिश्चित करें सभी

इस मामले में न्यायपालिका का रुख भी बेहद कड़ा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में भारत केसर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)के एक महत्वपूर्ण फैसले का विशेष रूप से उल्लेख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि देश के किसी भी कोने में छात्रों की स्कॉलरशिप को बेवजह न लटकाया जाए।

कारण बताना अब कानूनी रूप से अनिवार्य

न्यायालय के आदेशानुसार, केंद्र और राज्य सरकारों को चार महीने के भीतर सभी वैध और लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान सुनिश्चित करना होगा। यदि किसी विशेष या अनिवार्य तकनीकी कारण से किसी छात्र की छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकती है, तो संबंधित छात्र और उसके शिक्षण संस्थान को दो महीने के भीतर इसका लिखित कारण बताना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।

लापरवाही पर कार्रवाई: बिना आधार वेरिफिकेशन के आवेदन सत्यापित

भविष्य में इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने जवाबदेही तय कर दी है। जैसे खेल जगत में नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होती है, जैसे वर्तमान में रोमेलु लुकाकू पर बड़ी कार्रवाई की तैयारीचल रही है, ठीक उसी तरह शिक्षा विभाग अब लापरवाह अधिकारियों पर कड़ा शिकंजा कस रहा है।

सत्र 2026-27 के लिए सख्त नियम

निदेशालय ने सभी संस्थानों के प्रमुखों और संस्थागत नोडल अधिकारियों (Institutional Node Officers) को निर्देश दिए हैं कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदनों (Apply Online) का सत्यापन (Verification) करने से पहले छात्रों के बैंक खातों की जांच कर लें। यदि बिना आधार सीडिंग के किसी भी अधिकारी ने आवेदन को फॉरवर्ड या सत्यापित किया, और बाद में भुगतान रुक गया, तो इसकी पूरी वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारी संबंधित संस्थान प्रमुख और नोडल अधिकारी की होगी।

अंतिम अल्टीमेटम: 26 दिसंबर तक सभी संस्थानों को जमा करना होगा

शिक्षा निदेशालय अब किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं है। उच्च शिक्षा निदेशक ने पहले से सत्यापित हो चुके मामलों में भी बैंक खातों को आधार से जोड़ने का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। इसके लिए विभाग द्वारा एक अंतिम समय-सीमा यानी डेडलाइन भी तय कर दी गई है।

26 दिसंबर तक का अंतिम मौका

सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को हर हाल में 26 दिसंबर तक अपने संस्थान का अनुपालन प्रमाणपत्र (Compliance Certificate) निदेशालय के पास जमा करना होगा। इस पीडीएफ (PDF) या भौतिक दस्तावेज में यह प्रमाणित करना होगा कि उनके संस्थान के किसी भी छात्र का खाता आधार सीडिंग से वंचित नहीं है। जो संस्थान इस समय-सीमा का पालन करने में विफल रहेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय द्वारा उठाया गया यह कदम छात्रों के हित में बेहद जरूरी है। 44,616 छात्रों की छात्रवृत्ति का अटकना एक गंभीर विषय है, लेकिन आधार सीडिंग अनिवार्य होने से भविष्य में फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और सही लाभार्थी तक पैसा सीधे पहुंचेगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत अपने बैंक शाखा में जाकर अपना स्टेटस (Status Check) चेक करें और सुनिश्चित करें कि उनका खाता आधार से लिंक है ताकि 2026 की इस नवीनतम अपडेट (Latest Update) के अनुसार उन्हें जल्द से जल्द भुगतान मिल सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ताजा रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में कुल 44,616 विद्यार्थियों की केंद्रीय प्रायोजित छात्रवृत्ति (Scholarship) पर फिलहाल रोक लगाई गई है।

छात्रवृत्ति अटकने का सबसे मुख्य और प्राथमिक कारण विद्यार्थियों के बैंक खातों का उनके आधार कार्ड से लिंक न होना (Aadhaar Seeding न होना) है।

यह लंबित मामले शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लेकर वर्तमान सत्र 2025-26 के बीच के हैं, जिनका भुगतान तकनीकी विसंगतियों के कारण रुका है।

इससे मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC EBC DNT) के प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्र प्रभावित हुए हैं।

उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों को एक माह के भीतर सभी लंबित मामलों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारों को 4 महीने के भीतर लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान करना होगा, अन्यथा 2 महीने के भीतर छात्र को लिखित कारण बताना होगा।

सत्र 2026-27 के ऑनलाइन आवेदनों में यदि बिना आधार सीडिंग के सत्यापन किया जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान प्रमुख और नोडल अधिकारी की होगी।

हिमाचल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 26 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से निदेशालय में अनुपालन प्रमाणपत्र (Compliance Certificate) जमा करना होगा।